न्यायालय–अवर न्यायाधीश प्रथम, डुमरॉव

स्वत्व वाद सं0 360/2023

चंदन प्रकाश.....वादी।

बनाम्

अखिलेश राय वगै0..... प्रतिवादीगण।

आदेश

04.09.2023

अभिलेख आज आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया। वादी द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक–04.07.2023 अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 एवं 2 सी0 पी0 सी0 में वादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रतिवादीगण को इस वाद के दाखिले की जानकारी मिल चुकी है तथा प्रतिवादीगण विवादित भूमि को अंतरित करने के प्रयास में लग गये हैं। वादी के विद्वान अधिवक्ता का ये भी कथन है कि वादपत्र के परिशिष्ट–1 के पांचों विक्रय पत्र के अवलोकन से जाहिर होता है कि सभी दस्तावेज के पुरा प्रतिफल का भुगतान विक्रेता के हस्ताक्षर के पूर्व ही हो चुका था लिहाजा वादी द्वारा यह कबूल करना सम्भव ही नहीं था। स्वत्व वाद सं0 291/2013 में पारित अवार्ड एवं डिक्री तथा उसी आधार पर वादपत्र के परिशिष्ट सं0 2 के दोनों विक्रय पत्र जाली फरेबी है। वादी के विद्वान अधिवक्ता ये भी कथन करते हैं कि विवादित भूमि पर वादी को प्रथम दृष्टया केस प्राप्त है तथा सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में है और निषेधाज्ञा जारी नहीं करने से वादी को अपूर्णीय क्षति होगी। वादी के विद्वान अधिवक्ता अनुरोध करते हैं कि प्रतिवादी सं0 2 के विरूद्ध निषेधाज्ञा जारी कर वादपत्र की विवादित भूमि पर किसी प्रकार के उत्पात व उसका अंतरण करने से रोक दिया जाये।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व में सुना जा चुका है। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस वाद में प्रतिवादीगण को इम्तनाई आवेदन के आलोक में कारण–पृच्छा नोटिस विशेष दूत के माध्यम से जारी किया गया था। नोटिस का तामिला अभिलेख पर उपलब्ध है। तामिला में यह प्रतिवेदित किया गया है कि कारण–पृच्छा नोटिस की प्रति दोनों प्रतिवादीगण के व्यवस्थापक अंगद तिवारी द्वारा प्राप्त किया गया है। अभिलेख के अवलोकन से यह

लगातार
04.09.2023

स्पष्ट है कि वादी द्वारा यह वाद स्वत्व वाद सं0 **291/2013** में पारित अवार्ड एवं डिक्री तथा उसी आधार पर वादपत्र के परिशिष्ट–2 के दोनों विक्रय पत्र जाली फरेबी हैं जिनका वादपत्र के परिशिष्ट सं0 1 में वर्णित निबंधित विक्रय पत्रों पर कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं है। वादी का कथन है कि वादी ने प्रतिवादी सं0 2 के साथ प्रतिवादी सं0 1 से 5 निबंधित विक्रय पत्र जिसमें कुल 13.16 एकड़ एराजी क्रय किया। जिसमें सिर्फ वादी का पैसा लगा था और वादी ने उस एराजी का दाखिल खारिज कराकर लगान वादी तथा प्रतिवादी सं0 2 के नाम से कटती चली आती है। वादी ने जब उक्त एराजी को चारों तरफ से सुरक्षित करने हेतु पिलर गड़वा दिया तब प्रतिवादी सं0 2 ने पिलर गड़ने का विरोध किया तथा कहा कि वह जमीन वादी की नहीं है। वादी ने जब पता लगाया तो पता चला कि परिशिष्ट सं0 1 की एराजी की रजिस्ट्री प्रतिवादी सं0 1 द्वारा प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष में निबंधित विक्रय पत्र सं0 1326 एवं 1327 दिनांक– 08.02.2014 को की गई है। वादी का ये भी कथन है कि वादपत्र के परिशिष्ट सं0 2 में वर्णित दस्तावेज के अवलोकन से जाहिर हुआ कि सब जब प्रथम, बक्सर के समक्ष प्रतिवादी सं0 1 ने स्वत्व वाद सं0 **291/2013** दाखिल किया जिसमें यह कथन किया गया कि परिशिष्ट सं0 1 में वर्णित पांचो विक्रय पत्र के क्रेता अर्थात इस वाद के वादी ने उनका आधा विक्रय मूल्य विक्रेता को नहीं दिया इसलिए चंदन प्रकाश के पक्ष में किये गये विक्रय को शून्य घोषित करने के लिए यह स्वत्व वाद दाखिल किया है। इसी आधार पर मेगा लोक अदालत बक्सर ने पांचो वसीका केवाला से चंदन प्रकाश का **1/2** हिस्सा शून्य घोषित किया। स्वत्व वाद सं0 **291/2013** में यह गलत कहा गया है कि प्रतिवादी सं0 2 चंदन प्रकाश कुल रूपया **1/2** के भुगतान में टालमटोल कर रहे हैं। जब कि पांचो विक्रय पत्र में यह स्पष्ट लिखा है कि जरसमन दस्तावेज जारी करने से पहले ही विक्रेता प्राप्त कर चुके हैं। उक्त स्वत्व वाद में सुलहनामा का एक आवेदन है। उक्त सुलहनामा पर चंदन प्रकाश का जाली हस्ताक्षर है, क्योंकि चंदन प्रकाश द्वारा वकालतनामा और सुलहनामा पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं। उक्त सुलहनामा में प्रदीप राय के **1/2** अंश व चंदन प्रकाश के **1/2** अंश की कोई चौहदी नहीं दी गई है। तथा यह भी वर्णित है कि संयुक्त क्रेता प्रदीप कुमार राय एवं चंदन प्रकाश के बीच कोई मुस्तकिल बंटवारा हुआ था। वादी के विद्वान अधिवक्ता ये भी कथन करते हैं कि उक्त सुलहनामा तथा दोनों

लगातार

04.09.2023

विक्रय दस्तावेज जाली फरेबी है। अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण इस वाद में उपस्थित नहीं हैं तथा प्रतिवादीगण के तरफ से इम्तनाई आवेदन पर बिना कुछ सुने आदेश पारित करना वर्तमान परिस्थिति में न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। चूंकि प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्गत कारण–पृच्छा नोटिस को उनके व्यवस्थापक द्वारा प्राप्त किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में अभिलेख में वर्णित एराजी को बचाना न्यायहित में आवश्यक प्रतीत होता है। अतः उभय पक्षों को निर्देश दिया जाता है कि विवादित एराजी पर यथास्थिति बनाये रखें तथा बिना न्यायालय के अनुमति के विवादित एराजी की विक्री या उसके प्रकृति में बदलाव न करें। यह आदेश आज की तिथि से अगले 30 दिनों तक के लिए लागू रहेगा तथा उक्त तिथि बीत जाने पर यह आदेश स्वतः समाप्त माना जायेगा। इस बीच कार्यालय लिपिक सम्मन की तामिला की मांग करें तथा वादी प्रतिवादी की उपस्थिति हेतु अग्रिम कार्रवाई करें।

वास्ते दिनांक.– 20.09.2023 प्रतिवादीगण की उपस्थिति हेतु ।

लेखापित

ह0/–

प्रभारी सब जज प्रथम, डुमरॉव ।